THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH) (a). No Sir. Users under category L-6 are paying basic excise duty either at the rate of Rs. 34/- or at the rate of Rs. 150/- per kilo-litre, depending upon whether the benzene toluene are used as solvents in the formulation of pesticidal solution, sprays and suspensions or for other specified industrial uses.

(b) The rate of duty applicable to all others (which include non-L-6 category consumers) is presently Rs. 2,000/- per kilolitre.

(c) This is within the purview of the Department of Revenue in the Ministry of Finance. In a survey conducted by that Department sometime back a few cases of abuse or non-accountal were noticed.

दिल्ली में मिट्टी के तेल का राशन

*8 श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मिट्टी के तेल का राशन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मिट्टी के तेल का राशन होने के पश्चात् अनियमितताओं को रोकने के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था भी की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस समय उनके पास मिट्टी के तेल को राशन करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। मिट्टी के तेल के वितरण को विनियमित करने हेतु राशन कार्ड को मिट्टी के तेल के डीलरों के पास पंजीकृत करने की एक योजना को चालू किया गया है ;

(ख) चीनी वाली चार युनिट तक राशन कार्ड पर एक पखवाड़े में 4 लीटर मिट्टी का तेल दिया जायेगा। प्रत्येक चीनी के अतिरिक्त युनिट पर एक पखवाड़े में एक लीटर मिट्टी का तेल देने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि यह 10 लिटर मिट्टी के तेल से अधिक न हों। राशन कार्ड रखने वाले केवल डीलरों से ही मिट्टी का तेल प्राप्त करेंगे जिनके पास राशन कार्ड पंजीकृत है।

(ग) दिल्ली मिट्टी के तेल (निर्यात एवं मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1962 के अन्तर्गत डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

Decesion taken on Law Commission's Report on the Improvement in the Service Conditions and Employments of Judges

*9 SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:

SHRI K. KODANDA RAMI REDDY:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No 312 on the 13th March, 1973 regarding Law Commission report on the improvement in the service conditions nad emoluments of Judges and state:

(a) whether any decision has since been taken on the proposals of the Law Commission for making substantial improvements in the service conditions and emoluments of the Judges; and

(b) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): (a). The matter is yet under the consideration of the Government.